तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निर्णय

11/11/22 पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदन में दिनांक 17.08.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा हाडाला सुथारों का तला पटवार क्षेत्र मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1459 रकबा 01.10 बीघा, खसरा संख्या 1462 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 1483 रकबा 15.15 बीघा, खसरा संख्या 1484 रकबा 15.17 बीघा, खसरा संख्या 1485 रकबा 03.15 बीघा, खसरा संख्या 2160/1465 रकबा 66.04 बीघा, खसरा संख्या 2433/1414 रकबा 176.11 बीघा कुल रकबा 280.00 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर